[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 62/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 सपठित धारा 39 की उपधारा(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 43/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1257(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 65 सपठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा(4) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-6 में किसी निवेश सेवा वितरक द्वारा माह जुलाई, 2017 के विवरणी भरे जाने के लिए समय-सीमा को बढाकर 31 दिसम्बर, 2017 कर दिया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (6) के अधीन विवरणी भरे जाने के लिए बढे हुए समय-सीमा को अगस्त, 2017 सितम्बर,2017 और अक्तूबर,2017 के लिए राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचना किया जायेगा।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवरसचिव, भारतसरकार